रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238887
CG-DL-E-16092022-238887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4169] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
No. 4169] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

का. आ. 4353(अ).—जबकि, सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन नियमावली, 2020 के नियम 3 के तहत केंद्र सरकार, सुशासन के हित में, नागरिकों के जीवन में सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच समर्थ करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दे सकती है;

और, जबकि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त नियमों के नियम 4 द्वारा यथापेक्षित एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रस्तुत किया था, जिसने का.ज्ञा. सं.13(2)/2022-ईजी- ii (वॉल्यूम ii), दिनांक 4 नवंबर, 2020 के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली कतिपय सेवाओं के संबंध में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी है;

अब, इसलिए, सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन नियमावली, 2020 के नियमों 3 और 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1026(अ),दिनांक 3 मार्च, 2021 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ii, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतदद्वारा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन की अनुमति देती है और निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. पैरा (2) में उल्लिखित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पोर्टल (Parivahan.gov.in or mParivahan application) के माध्यम से ऑनलाइन आधार अधिप्रमाणन (स्वैच्छिक आधार पर) करवाना आवश्यक है;

   परंतु, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार क्रमांक नहीं है, वह सीएमवीआर, 1989 के अनुसार संबंधित प्राधिकरण में प्रत्यक्ष रूप से एक वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर पहचान स्थापित करके भौतिक रूप में ऐसी सेवा का लाभ उठा सकता है;

2. जिन ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के लिए किसी नागरिक को आधार अधिप्रमाणन की आवश्यकता होती है, वे इस प्रकार हैं:-

1.	लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन (एलएल)
2.	लर्नर लाइसेंस में पता बदलना
3.	लर्नर लाइसेंस में नाम बदलना
4.	लर्नर लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर बदलना
5.	डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस जारी करना
6.	लर्नर लाइसेंस निकलवाने के प्रावधान करना
7.	डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करना
8.	ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए गाड़ी चलाने की दक्षता जांच की आवश्यकता नहीं है
9.	ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन
10.	मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केन्द्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को भेजे जाने के लिए आवेदन
11.	ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना
12.	ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलना
13.	ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना
14.	ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलना
15.	ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर बदलना
16.	ड्राइविंग लाइसेंस निकालने का प्रावधान करना
17.	अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना
18.	लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण
19.	खतरनाक सामग्री वाहन को चलाने की अनुमति
20.	पहाड़ी क्षेत्र में वाहन को चलाने की अनुमति
21.	रक्षा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना
22.	रक्षा ड्राइविंग लाइसेंस धारक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर अतिरिक्त तसदीक (एईडीएल)
23.	चालक को सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बिल्ला (बैज) जारी करना
24.	डुप्लीकेट सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज जारी करना
25.	चालक के लिए अस्थायी सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज
26.	कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण
27.	डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना
28.	कंडक्टर लाइसेंस निकालवाने का प्रावधान करना
29.	अस्थायी कंडक्टर लाइसेंस जारी करना
30.	कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना
31.	कंडक्टर लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना
32.	कंडक्टर लाइसेंस में नाम बदलना

33.	मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन
34.	पूरी तरह से निर्मित बॉडी वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
35.	डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने के लिए आवेदन
36.	पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क जमा करना
37.	पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन
38.	पंजीकरण प्रमाणपत्र में पता बदलना
39.	शुल्क देकरआरसी विवरण देखना
40.	पंजीकरण संख्या का प्रतिधारण (रीटेंशन)
41.	मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना
42.	मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन
43.	अतिरिक्त आजीवन कर का भुगतान (स्वामित्व का हस्तांतरण मामला)
44.	किराया-खरीद करारकी अनुशंसा
45.	किराया-खरीद करारकी समाप्ति
46.	व्यापार प्रमाणपत्र जारी /नवीकरण करना
47.	नवीनतम परमिट जारी करना
48.	डुप्लीकेट परमिट जारी करना
49.	गैर-उपयोग सूचना परमिट
50.	परमिट का स्थायी समर्पण
51.	परमिट का हस्तानांतरण
52.	परमिट का हस्तानांतरण (मृत्यु का मामला)
53.	परमिट का नवीनीकरण
54.	परमिट प्राधिकृति का नवीनीकरण
55.	विशेष परमिट के लिए आवेदन
56.	अस्थायी परमिट के लिए आवेदन
57.	परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर को अद्यतित करना
58.	डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आरटी-11036/27/2017-एमवीएल]
महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2022

S. O. 4353(E).— WHEREAS the Central Government under rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 may allow Aadhaar authentication on a voluntary basis by requesting entities, in the interest of good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them;

AND WHEREAS, the Ministry of Road Transport and Highways submitted a proposal as required by rule 4 of the said rules to the Central Government in the Ministry of Electronics and Information Technology, which *vide* O.M. No. 13(2)/2022-EG-II (Vol. II), dated the 4th November, 2020 has allowed Aadhaar authentication for the purposes of usage of digital platforms to ensure good Governance in respect of certain services provided online to the citizen;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by rules 3 and 5 of the Aadhar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, and in supersession of the notification of